(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/105

नरेश कुमार बैरागी उर्फ नरेशदास पुत्र तुलसीदास जाति बाबाजी निवासी ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री लीलाधर सिंह , अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः **31.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 136/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार भूमि खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि पर आने–जाने के लिए कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपीलांट को अपने खाते की भूमि पर पंहुच के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर जो वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, जिसमें से 30 फिट चौड़ाई का रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि से नवीन मार्ग सृजित होगा। प्रार्थी ने अप्रार्थी से आज से लगभग 15 दिन पूर्व आपसी समझाईश व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि पर रास्ता कृषि भूमि पर पंहुच हेतु आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी के पास स्वयं की कृषि भूमि पर पंहुच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी ये आवेदन पत्र रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता हेतु पेश कर रहा है भूमि के मूल्य वृद्धि हेतु प्रार्थी यह आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर रहा है। अप्रार्थी की भूमि पर

30 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ता सृजित नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए पड़त रह जायेगी। इससे भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वादकारण आज से लगभग 15 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी से सहमति से प्रार्थी को रास्ता देने से इनकार कर दिया तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है पर पंहुच हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर जो वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। मे से 30 फिट चोड़ाई का तथा प्रार्थी की भूमि तक पंहुच की लम्बाई का रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नोट अंकित करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान करने की कृपा करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2024 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई । अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के उपरान्त अपीलांट गंभीर रूप से बीमार होने चलने–फिरने की स्थिति मे नही होने तथा देवी–देवताओ के ईलाज मे व्यस्त होने के कारण तथा हिदायत अनुसार पूर्ण आराम की स्थिति में था। पूर्णरूप से स्वस्थ होने के पश्चात अपीलांट के द्वारा निर्णय दिनांक 29.05.2024 की प्रथम बार जानकारी 28.03.2025 को नकल प्राप्त करने पर हुई। नकल प्राप्त करने के पश्चात अपीलांट के द्वारा अन्दर अवधि मध्य यह अपील प्रस्तुत की जा रही है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत

किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करते हुए विलम्ब का शमन किया जाने की आज्ञा प्रदान कराये। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत मामले को अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना कानून की दृष्टि से समझने की कोशिश नहीं की तथा जल्दबाजी में अपीलार्थी का दावा खारिज करके भारी त्रुटि की है। जहां पर कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर पंहुच हेतु कोई सार्वजनिक रास्ता मौके पर नहीं है तथा रेस्पोडेंट की भूमि खसरा सं. 707 मे से ही नवीन रास्ता गुजरेगा। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट का वादपत्र खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्य की भूल की है जो कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह वर्णित किया है कि भूमि खसरा सं. 707 जिस पर नवीन मार्ग सृजित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुतोष चाहा गया है वह खनिज संभावी क्षेत्र है तथा सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार नही बनाया गया है कुसंयोजन मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है इस आधार पर अपीलाण्ट का वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुती के समय खसरा सं. 707 की जो जमाबन्दी पेश की गई थी उस जमाबन्दी मे कहीं पर भी उक्त भूमि खनिज संभावी क्षेत्र है वर्णित नही किया गया है इस कारण उक्त खनिज विभाग को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया जो कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन की परिभाषा मे आता है। परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जल्दबाजी में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के स्थान पर कुसंयोजन शब्द का उल्लेख किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट खनिज विभाग को अधिनस्थ न्यायालय के विचारण वाद में ही पक्षकार बना देता। खनिज विभाग उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं होकर आवश्यक पक्षकार लेण्ड होल्डर तहसीलदार है जिसको भी अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट के द्वारा मात्र नवीन मार्ग सृजित करने हेतु यह वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसमें सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2024 पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के द्वारा धारा 251 क के अनुसार यह साबित कर दिया था कि अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सार्वजनिक उपभोग के लिए नहीं है, और साथ ही मे रेस्पोडेंट की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नये मार्ग के मामले में, पंहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया। इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा अपने वादपत्र मे यह भी वर्णित किया था कि नवीन मार्ग का उपयोग अपीलांट अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए ही करेगा अन्य किसी अधिकार की मांग नहीं कर रहा था। इस कारण खनिज संभावित क्षेत्र होने के कारण नवीन मार्ग सृजित करने पर अन्य किसी प्रकार का कोई अधिकार अपीलांट को अर्जित नही हो रहा था क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि रास्ते के रूप में अभिलिखित की जाती ना कि अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज की जाती। इसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वादपत्र खारिज कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2024 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेंट को नवीन मार्ग सृजित करने हेतु आदेशित किए जाने एवं अन्य उचित आदेश जो अपीलांट के पक्ष में हो वह अता फरमाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे अपीलान्ट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट ने स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 1038/709 रकबा 0.447 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 707 रकबा 0.9955 हैक्टेयर में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 के अनुसार ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा की खसरा नम्बर 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि नरेशदास पुत्र तुलसीदास की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 के अनुसार वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा की खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 707 रकबा

0.9955 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु.बर्डा दर्ज रिकॉर्ड है। अतः खसरा नम्बर 1038/709 की भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 707 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है जो खाता संख्या 1 में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार तालेड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 152 दिनांक 21.02.2014 के द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। मोका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 में प्रार्थी अपीलांट के खाते की प्रश्नगत खसरा नम्बर 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 707 रकबा 0.9955 में विद्यमान होने का अंकन है तथा उक्त खसरा नम्बर 707 की भूमि के लगवां गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 980/706 होने का अंकन है। अतः पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि में विद्यमान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.05.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि को खनिज सम्भावित क्षेत्र होना स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सक्षम अधिकारी की अनुमति/सहमति के अभाव में एवं आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन होने का कारण उल्लेखित करते हुए प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया गया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि खनिज सम्भावित भूमि है अतः सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। परन्तु पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि किस्म गैर मुमकिन बर्डा दर्ज रिकॉर्ड है तथा उक्त जमाबंदी सम्वत् 2076 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि में खनन हेतु आरक्षित होने का कोई नोट अंकित नहीं है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि के खनन कार्य के रूप में उपयोग में आने का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मोका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 में भी प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य होने अथवा खनन कार्य हेतु उपयोग में लिए जाने का अंकन नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.05.2024 में कोई ठोस कारण अंकित किए बिना ही केवल पैरोकार सरकार के मौखिक कथनों के आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि को खनिज सम्भावित भूमि होने का अंकन करते हुए प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र खरिज किए जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 1038/709 की भूमि अपीलांट के खाते की भूमि है तथा मोका रिपोर्ट दिनांक 19.02.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 1038/709 की भूमि के प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं होने तथा उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का अंकन है तथा अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 707 की भूमि में होने का अंकन है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि में विद्यमान होने का तथ्य संज्ञान में आने के उपरांत भी प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

2. यह कि अधीनस्थ मातहत न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी

दिनांक 29.05.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। यदि अधीनस्थ न्यायालय प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि को खनिज संभावित भूमि होने के आधार पर सक्षम अधिकारी को पक्षकार कायम किया जाना उचित मानता है तो वह सी.पी.सी. में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार कायम किया जाकर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण कर सकता है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 136/2023 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नम्बर 707 की भूमि को तथाकथित खनिज संभावित भूमि होने के तर्क के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक/उचित समझता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार कायम किए जाने के उपरांत उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा राजस्थान काश्तकारी सरकार नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु 27.08.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा